

श्यामलाल

अनाम

ओम्पक/२१

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील बादी व वादीशरण खेम को बार-बार अवाज लगायी गयी। जिसे बावजूद अउपस्थित रहे हैं। अतः वादीशरण का वाप अदालत हाजरी व अदालत वैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमा होकर दाखिल दफतर हो। मि सुप्रीम कोर्ट (मु.) अजमेर